1 8 JAN 2017

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर–492002

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक / /2017

क्रमांक एफ 3–14/2015/1/एक:: राज्य शासन एतद्द्वारा मान. श्री भरत मटियारा, अध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर को "राज्य मंत्री" का दर्जा प्रदान करता है।

2/ राज्य शासन द्वारा माननीय अध्यक्ष, को राज्य मंत्री का दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए प्रदान किया जाता है। उन्हें नियमानुसार सुविधायें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रशासकीय विभाग/बोर्ड का ही होगा।

3/ उक्त आदेश, जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एल.डी.चोपड़े)
अवर सचि
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3–14/2015/1/एक रायपुर, दिनांक 17/01/2017

1. माननीय श्री भरत मटियारा, अध्यक्ष, मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर छत्तीसगढ़।
2. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त छत्तीसगढ़।
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़।
6. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
7. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष–6) मंत्रालय, नया रायपुर।
8. निज सचिव/निज सहायक, समस्त माननीय मंत्रीगण/संसदीय सचिवगण छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9. आर्डर बुक

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय–नया रायपुर

रायपुर दिनाक 22/08/2016

//आदेश//

क्रमाक–एफ 6–12/36/योजना/2013 राज्य शासन कृषि (मछली पालन) विभाग की अधिसूचना क्रमाक 190 दिनांक 09 मई 2013 से "छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड" का गठन 03 वर्ष की कार्य अवधि के लिए किया गया था। राज्य शासन एतद् द्वारा "बोर्ड" की कार्य अवधि को पुनः 03 वर्ष के लिये वृद्धि करते हुए "मछुआ कल्याण बोर्ड मे निम्नानुसार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है :–

क्र.	नाम	पदनाम
1	श्री भरत मटियारा, कांकेर	अध्यक्ष
2	श्री थान सिह मटियारा, दुर्ग	उपाध्यक्ष
3	श्री श्याम रतन सपहा, रायपुर	सदस्य
4	श्री फिरोज हिरवानी, धमतरी	सदस्य
5	श्री विक्रम निषाद, बिलासपुर	सदस्य
6	श्रीमती कुसुमलता कैवर्त्य, कोरबा	सदस्य
7	श्री नेतराम निषाद, ग्राम किकिरमेट, वि.ख.–पाटन	सदस्य

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछली पालन) विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6–12/36/यो/2013-14 /371/ नया रायपुर, दिनांक 22.08.2016

प्रतिलिपि :–

सर्वसबंधितो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन।
2. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी मछली पालन विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर।
3. अवर सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छ.ग. शसन मंत्रालय रायपुर।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
5. सचिव, कृषि (मछली पालन) विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर।
6. संचालक, मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड, रायपुर।
8. सर्व संबंधित श्री ------------------------------ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य।
9. उप नियत्रक, शासकीय मुद्रणालय रायपुर की ओर प्रकाशानार्थ।

(अनुप कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछली पालन) विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
मछली पालन विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय –नया रायपुर

839
13/6/2013

आदेश

रायपुर दिनांक 9 –5–2013

क्रमांक एफ 6–12/36/यो/2012 :: मछुआ कल्याण बोर्ड के गठन हेतु राज्य शासन एतद् व्दारा निम्नांकित पदों को सृजन करने की सहमति प्रदान करता है :–

क.	पदनाम	वेतनमान + ग्रेड पे	संख्या
01	सचिव	15600–39100+ 6600	01
02	तकनीकी अधिकारी	9300–34800+ 4300	01
03	शीघ्रलेखक	5200–20200 + 2800	02
04	स्टैनो टायपिस्ट/ कम्प्यूटर आपरेटर	5200–20200 + 1900	01
05	सहायक वर्ग–3	5200–20200 + 1900	02
06	भृत्य	4750–7440 + 1300	04
07	चौकीदार	4750–7440 + 1300	01
		योग	12

2/ उक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या 16 मछली पालन, योजना कमांक (8896) मछुआ कल्याण बोर्ड की स्थापना , 14–सहायक अनुदान, 012 अन्य अनुदान के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

3/ उक्त पद संरचना की स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.कमांक 216/सीएन/1004981 /बजट–5/वित्त/चार 2013 दिनांक 27 4 2013 व्दारा प्रदान की गई है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(प्रदीप कुमार दवे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछली पालन) विभाग

वित्त निर्देश 08/2016

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 108 /एल–2013–71–00052/वि./नि./चार नया रायपुर, दिनांक 02/04/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– राज्य शासन के मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में।

संदर्भ :– 1. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 177/362/वित्त/नियम/ चार/2008, दिनांक 19 अगस्त, 2008.
2. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 221/सी–26428/11/ वित्त/नियम/चार, दिनांक 11 जुलाई, 2011.
3. वित्त विभाग का ज्ञापन कमांक 328/सी–26428/11/ वित्त/नियम/चार, दिनांक 7 अक्टूबर, 2011.

संदर्भित ज्ञापन दिनांक 19.8.2008 द्वारा राज्य शासन के निगम/मंडल/आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके तहत् सांसदों तथा विधायकों की राज्य शासन के किसी निगम/मंडल/आयोग आदि में की गई नियुक्तियों के मामलों को छोड़कर संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित निगम/मंडल/आयोग के अशासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों तथा अन्य विधि द्वारा स्थापित निगम/मंडल/आयोग/प्राधिकरण के अशासकीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को तथा ऐसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्यों को जिन्हें राज्य शासन द्वारा मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, को उक्त ज्ञापन के साथ संलग्न परिशिष्ट अनुसार वेतन–भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होती है।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त परिशिष्ट में उल्लेखित वेतन, दैनिक भत्ता एवं पेट्रोल सीमा की दरें संशोधित की जाए। तदनुसार पुनरीक्षित परिशिष्ट संलग्न है। उक्त ज्ञापन की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

संशोधित दरें दिनांक 1.4.2016 से लागू मानी जावेंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

2/4/16.
(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

परिशिष्ट

राज्य शासन के मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाएं

क्र.	देय सुविधा का प्रकार	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष	सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	वेतन	10000	10000	10000
2	दैनिक भत्ते	1500	1200	1000
3	**यात्रा दैनिक भत्ता–** राज्य के भीतर राज्य के बाहर	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान
4	वाहन	एक	–	–
5	वाहन चालक	एक	–	–
6	**पेट्रोल सीमा–** शासकीय वाहन स्वयं का वाहन	200 लीटर 250 लीटर	– 200 लीटर	– 200 लीटर
7	यात्रा सुविधा	वायुयान एवं ए.सी. प्रथम श्रेणी	वायुयान एवं ए.सी. प्रथम श्रेणी	वायुयान एवं ए.सी. प्रथम श्रेणी
8	चिकित्सा सुविधा	विधायक होने की स्थिति में विधायक को अनुज्ञेय अथवा अखिल भारतीय सेवा के अनुज्ञेय	विधायक होने की स्थिति में विधायक को अनुज्ञेय अथवा अखिल भारतीय सेवा के अनुज्ञेय	विधायक होने की स्थिति में विधायक को अनुज्ञेय अथवा अखिल भारतीय सेवा के अनुज्ञेय
9	निजी स्टाफ	निज सचिव – एक सहा.ग्रेड–तीन– एक भृत्य – दो	निज सहायक – एक भृत्य – दो	निज सहायक – एक भृत्य – दो
10	दूरभाष	कार्यालय – एक निवास – एक	कार्यालय – एक निवास – एक	कार्यालय – एक निवास – एक
11	दूरभाष व्यय सीमा	कार्यालय– 5000 प्र.मा. निवास – 3000 प्र.मा.	कार्यालय– 1500 प्र.मा. निवास – 750 प्र.मा.	कार्यालय– 1500 प्र.मा. निवास – 750 प्र.मा.
12	किराये के आवास की सुविधा	बी टाईप प्लिंथ एरिया के समान कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से	सी टाईप प्लिंथ एरिया के समान कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से	सी टाईप प्लिंथ एरिया के समान कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से

[illegible] 24/6/16

वित्त निर्देश 25/2016

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 413/एल 2016-56-00045/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 22/10/2016

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :- राज्य शासन के मण्डल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में

संदर्भ :- (1) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 108/एल-2013-71-00052/वि./नि./चार, दिनांक 2.4.2016.
(2) वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 294/एल 2016-09-00002/वि/नि/चार, दिनांक 6.8.2016

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 2.4.2016 द्वारा माननीय सांसदों तथा माननीय विधायकों की राज्य शासन के किसी निगम/मण्डल/आयोग आदि में की गयी नियुक्तियों के मामलों को छोड़कर संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित अथवा अन्य विधि द्वारा स्थापित निगम/मण्डल/आयोग/प्राधिकरण के अशासकीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों तथा ऐसे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों को जिन्हें राज्य शासन द्वारा मंत्री/राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता निर्धारित की गयी है। साथ ही वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन दिनांक 6.8.2016 द्वारा ऐसे निगम/मण्डल/आयोग के सदस्य जो उपरोक्तानुसार श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें देय सुविधाओं के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं किन्तु उक्त निर्देश में उपाध्यक्ष को देय सुविधाओं का उल्लेख नहीं है।

2. राज्य शासन द्वारा उक्त ज्ञापन दिनांक 6.8.2016 को अधिक्रमित करते हुए ऐसे निगम/मण्डल/आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों को जो उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं, संलग्न परिशिष्ट अनुसार सुविधाएं देने का निर्णय लिया गया है। उक्त सुविधाओं की पात्रता पूर्णकालिक/नियमित उपाध्यक्ष/सदस्य को होगी, अर्थात् पदेन/अंशकालीन/आमंत्रित/विशेष आमंत्रित उपाध्यक्ष/सदस्यों को उक्त सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
22/10/2016
(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

<u>परिशिष्ट</u>

क्र.	सुविधा	उपाध्यक्ष	सदस्य
1	वेतन	रू. 10,000 प्रतिमाह	रू. 10,000 प्रतिमाह
2	यात्रा भत्ता	प्रथम श्रेणी अधिकारियों के समान	बी श्रेणी अधिकारियों के समान
3	पेट्रोल सीमा	200 लीटर प्रतिमाह (स्वयं के वाहन हेतु)	–
4	दूरभाष	कार्यालय – एक	–
5	दूरभाष व्यय सीमा	कार्यालय – रू. 1,000 प्रतिमाह	–

22/10/2016

कार्यालय छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड
आवक क्र. 01
दिनांक 25/9/2013
रायपुर

संचालनालय मछली पालन
छत्तीसगढ़

क्रमांक 2762/म./स्था./2013–14

रायपुर दिनांक 31/8/13

//आदेश//

छ.ग. शासन, कृषि मछली पालन विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ 6–12/36/यो/2013 दिनांक 9 मई 2013 के द्वारा मछुवा कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है तथा छ.ग. शासन मछली पालन विभाग आदेश क्रमांक एफ 6–12/36/यो/2012–13/294/दिनांक 29.08.2013 के द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई है ।

मछुवा कल्याण बोर्ड का कार्य संचालन उप संचालक मछली पालन प्रशिक्षण संस्थान रायपुर अपने वर्तमान दायित्वों के साथ साथ बोर्ड में सचिव के पद पर कार्य संपादित करेंगे ।

संचालक मत्स्योद्योग
छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक 2763/म./स्था./2013–14

रायपुर दिनांक 31/8/13

प्रतिलिपि –

1. अवर सचिव, छ.ग. शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर शासनादेश के परिपेक्ष में सूचनार्थ सादर प्रेषित ।
2. श्री बंसत तारक, अध्यक्ष मछुवा कल्याण बोर्ड, टिकरापारा, रायपुर
3. श्री थान सिंह, मटियारा, उपाध्यक्ष मछुवा कल्याण बोर्ड, दुर्ग
4. श्री ताराचन्द तारक, सदस्य मछुवा कल्याण बोर्ड, तामासिवनी, वि.ख. अभनपुर, जिला रायपुर
5. श्री फिरोज हिरवानी, सदस्य मछुवा कल्याण बोर्ड, धमतरी
6. श्रीमती कुसुमलता कैवर्थ, सदस्य मछुवा कल्याण बोर्ड, कोरबा
7. श्री नंदकुमार निषाद, सदस्य (विषय विशेषज्ञ) मछुवा कल्याण बोर्ड, ग्राम परसदा, (विद्या मंदिर) वि.ख. अभनपुर, जिला रायपुर
8. श्री श्याम रतन सपहा, सदस्य (विषय विशेषज्ञ) मछुवा कल्याण बोर्ड, रायपुर
   की ओर सूचनार्थ ।
9. उप संचालक मछली पालन, प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है की शासन के द्वारा जारी अधिसूचना, आदेश, पद सृजन आदेश तथा बजट प्रावधान की छायाप्रति संलग्न है । मछुवा कल्याण बोर्ड के कार्यों का विधिवत संचालन करें ।
10. संचालनालय के योजना/सांख्यिकी/मत्स्य बीज/जलाशय शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार क्र. 9 के लिए

संचालक मछलीपालन
छत्तीसगढ़

E:\Fisheries13\Agrawal Ji\General Letter.doc

19/06 2013 11:48AM FAX

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2 22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

845
19/6/2013

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 9 मई 2013—वैशाख 19, शक 1935

कृषि (मछली पालन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-12/36/यो/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा मछली पालन विभाग के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड" का गठन निम्नानुसार करता है.

1. **बोर्ड के उद्देश्य :**— राज्य में मत्स्य विकास कार्यक्रम अपेक्षानुकूल संचालित हो, एवं प्रदेश के परम्परागत, वंशानुगत मछुआरों एवं अन्य वर्ग के मत्स्य पालकों के कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करने, नई योजनाएं बनाने, पुराने कार्यक्रम में परिवर्तन करने, तथा मत्स्य पालन से संबंधित अन्य विषयों पर प्रासंगिक सुझाव देना.

2. **बोर्ड का संचालक मंडल :**—

1.	शासन द्वारा नामित व्यक्ति	अध्यक्ष
2.	शासन द्वारा नामित व्यक्ति	उपाध्यक्ष
3.	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछली पालन) विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चस्तर का हो)	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चस्तर का हो)	सदस्य

5.	प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चस्तर का हो)	सदस्य
6.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चस्तर का हो)	सदस्य
7.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग या नामांकित प्रतिनिधि (जो उप सचिव या उससे उच्चस्तर का हो)	सदस्य
8.	अशासकीय सदस्य (अधिकतम तीन)	शासन द्वारा नामांकित
9.	संचालक मत्स्योद्योग	सदस्य सचिव

टीप :— बोर्ड के संचालक मंडल में आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित विषय विशेषज्ञों को अशासकीय सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जा सकेगा.

3. **बोर्ड के प्रबंध संचालक :**— बोर्ड के प्रबंध संचालक राज्य शासन के द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे.

4. **बोर्ड का मुख्यालय :**— बोर्ड का मुख्यालय रायपुर में होगा.

5. **बोर्ड का कार्यकाल :**— मछुआ कल्याण बोर्ड की कार्य अवधि तीन वर्ष होगी. बोर्ड की तीन वर्ष की कार्य अवधि के पश्चात् स्वमेव समाप्त माने जायेंगे.

6. **बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधायें :**—वित्त विभाग के प्रचलित नियम/निर्देशों के अनुसार देय होगी.

7. **बोर्ड के कार्य :**—

1. प्रदेश के मछली पालन हेतु जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मत्स्योद्योग विकास एवं अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सुझाव देना.
2. मछली पालन एवं उससे जुड़े कार्यों के विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नीतियों/कार्यक्रमो के संबंध में सुझाव देना.
3. मछली पालन एवं अन्य संबद्ध कार्यक्षेत्रों में आर्थिक निवेश बढ़ाने हेतु ऋण/साख की वर्तमान व्यवस्था एवं इसे सरल एवं किसानोन्मुखी बनाने के लिए सुझाव देना.
4. सूखा एवं अल्प वर्षा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में मछली पालन की गतिविधियों एवं संरक्षण के लिए उपाय सुझाना तथा ऐसे क्षेत्रों में लागू विभिन्न विकास मूलक कार्यक्रमों को समेकित कर, ग्रामीण क्षेत्रों में मछली पालन द्वारा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में सुझाव देना.
5. बाढ़ एवं जलाप्लावन से निरंतर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की समस्या निवारण हेतु सुझाव देना.
6. मछली जल्द ही खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है, अत: उसके भंडारण एवं मूल्य संवर्धन तथा वर्तमान विपणन व्यवस्था एवं विपणन अधोसंरचना के विस्तार आदि का विकासोन्मुखी (प्रोग्रेसिव) बनाने के लिए सुझाव/अनुशंसाएं देना.
7. मछली पालन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन देने एवं ज्ञान, कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकीय एवं विपणन सशक्तीकरण के लिए उपायों की अनुशंसाएं देना.
8. शिक्षित युवाओं को आकर्षित करने के लिए उपाय सुझाना, तालाबों/जलाशयों में प्रतिपूरक आहार को प्रोत्साहन और मिश्रित खेती (Mixed Farming) अंतर्गत मछली पालन को बढ़ावा देने एवं मत्स्य पालन के प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु पद्धतियों की अनुशंसाएं देना.

9. स्थानीय समस्याओं/आवश्यकताओं के निराकरण हेतु अनुसंधान प्रारंभ करने कृषकों, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों के मध्य बेहतर सामन्जस्य के उपाय/व्यवस्था सुझाना.

10. मछली पालन एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों में आदानों की अबाध आपूर्ति व गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुझाव देना.

11. ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में मछली पालन की उपयोगिता एवं आने वाली समस्या के निराकरण के उपाय सुझाना.

12. मछली पालन के अंतर्गत आवश्यक आदान वितरण एवं "कृषि मत्स्य स्नातकों" के उपयोग पर सुझाव देना.

13. वंशानुगत रूप से लगे मछली पालकों का एवं उनके सर्वांगीण विकास एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव देना.

14. मछुआ कल्याण बोर्ड स्वप्रेरणा से या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव देना.

15. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्देशित कार्यों का निर्वहन करना.

8. **बोर्ड के अधीन अमला** :— राज्य शासन द्वारा स्वीकृत पदों के अनुसार अमला रहेगा.

9. **बजट, वित्त, लेखा एवं आडिट** :—

1. राज्य शासन द्वारा बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं एवं बोर्ड के संचालन हेतु अनुदान उपलब्ध कराया.

2. बोर्ड द्वारा किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत् बोर्ड के समस्त कार्यकलापों का सुचारू रूप से निर्वहन के लिये जहां भी ठीक समझे अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकेगा.

3. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट संभावित प्राप्ति एवं व्ययों का आंकलन दर्शाते हुए तैयार करेगा तथा स्वीकृति के लिये राज्य शासन की ओर अग्रेषित करेगा.

4. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित स्वरूप के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन विगत वर्ष के गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुए तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति शासन को प्रस्तुत करेगा.

5. बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये होगी.

6. बोर्ड प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने नियमों का संधारण करेगा.

7. बोर्ड प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रपत्र तैयार करेगा तथा नियुक्त अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण करवायेगा.

8. प्रारंभिक अवस्था में बोर्ड के सफल संचालन हेतु वांछित धनराशि शासन द्वारा आकस्मिकता निधि से उपलब्ध करायी जायेगी.

10. **विविध** :—

1. राज्य शासन सार्वजनिक हित को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड को अधिक्रमित कर सकेगा.

2. बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड के अधिक्रमित होने की स्थिति में अपने पद को छोड़ देंगे.

3. बोर्ड के पुनर्गठन होने तक बोर्ड की सभी व नियंत्रित संपत्तियां राज्य शासन के अधीन रहेगी.

4. राज्य शासन को बोर्ड/संचालक मंडल को भंग करने, उसमें नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा.

कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
फोन नं0 0771-4080934 फैक्स नं0 2221134

---00---

आदेश

रायपुर, दिनांक अप्रैल 2012

क्रमांक /सं स/राशिअ/2012., कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के प्रवास पर पधारे राज्य अतिथिगणों के परिवहन उपयोग हेतु ट्रेव्हल्स एजेंसियों के माध्यम से वाहन किराये पर लिए जाने हेतु इस आदेश के साथ संलग्न **"परिशिष्ट–अ"** में दर्शाये अनुसार नवीन किराया दर **"परिशिष्ट–ब"** में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत निर्धारित किया जाता है।

(सुनील कुमार अवस्थी)
राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

पृष्ठ.क्रमांक 159/संस/राशिअ/134/2012 रायपुर, दिनांक 04 अप्रैल 2012

प्रतिलिपि :–

01. अवर सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर
02. अधीक्षक, छ0ग0 स्टेट गैरेज, मंत्रालय, रायपुर
03. समस्त जिला कलेक्टर, प्रोटोकॉल शाखा, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट – "अ"

कार्यालय, राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के प्रवास पर पधारे राज्य अतिथिगणों के परिवहन उपयोग हेतु ट्रेव्हल्स एजेंसियों के माध्यम से किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का नवीन किराया दर निर्धारण।

(आदेश दिनांक से प्रभावशील)

क्र.	विवरण	किराया आधा दिन 8 घंटे 50 कि.मी.	किराया प्रति दिन 100 कि.मी.	अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी.
1	एक्स ट्रायल, टियेना, पसात, लैण्ड क्रूजर, सीआर व्ही, ऐकार्ड एवं समतुल्य वाहन	6500.00	8100.00	24.00
2	लूरा, न्यू बीटल, चारमी, कैपटिवा, एवं समतुल्य वाहन	6000.00	7500.00	21.00
3	येती, सोनाटा, न्यू जेट्टा, करोला, स्कोडा, आर्या, सिविक, क्रूज, एवं समतुल्य वाहन	1800,00	3500.00	17.00
4	वरना, ज्यालो, स्कार्पियो, इंनोवा, सफारी, हौंडा सिटी, ओप्टरा, टवेरा, फोर्डफिस्टा, क्वालिस, एवं समतुल्य वाहन	1100.00	2000.00	14.00
5	फीबिया करडी, मेका, आई 20, एसैंट, न्यु स्विट, स्विट डिजायर, रिट्ज, जिप्सी, एसएक्स 4, पोलो, वेनटो, महिन्द्रा वैरिटो, बोलेरो, लीवा, ईटोस, पुन्टो, लीना, टीजेट, फ्रीस्टा, ग्रान्ड, इंडिगो मांजा, इंडिगो सीएस, विस्ता, एम्बेसेडर, वेन्चुअर, टाटा सूमो, जाज, एविओ, बीट, एवं समतुल्य वाहन	900.00	1600.00	10.00
6	सेन्ट्रो, आई 10, मरूति 800, ओमनी, आल्टो, ए स्टार, वैगनआर, स्टेलो, ईको, रेवी, इंडिका व्ही 2, स्पार्क, एवं समतुल्य वाहन	600.00	1100.00	8.00

(हस्ताक्षर) 4/7/12

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–ब
नियम व शर्ते

1. प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 कि.मी. चलित सम्मिलित हैं जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा।
2. वाहन मुख्यालय पर रहने एवं मुख्यालय से बाहर जाने पर कोई अतिरिक्त भार देय नहीं होगा।
3. वाहन टैक्सी के रूप में परिवहन विभाग के नियमानुसार पंजीकृत होना अनिवार्य है एवं वाहन के समस्त कागजात परिवहन विभाग के नियमानुसार होना आवश्यक होगा। वाहन का रोड टैक्स/बीमा/सेवा एवं अन्य सभी प्रकार के शुल्क आदि का भुगतान वाहन मालिक द्वारा किया जावेगा। वाहन का परमिट, फिटनेस, रोड टैक्स व बीमा (कम्प्रेहेन्सिव) अद्यतन होना चाहिये।
4. वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन/भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक अवकाश या अस्वस्थ होने पर वाहन मालिक को तत्काल दूसरे अहर्ता प्राप्त वाहन चालक की व्यवस्था करना होगा। यदि विभाग द्वारा वाहन चालक की व्यवस्था की जावेगी तो उसका भुगतान राशि वाहन मालिक को देय बिल से काट ली जावेगी एवं समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन चालक ड्युटी के समय वर्दी में रहेगा।
5. वाहन की मरम्मत रख–रखाव एवं समस्त अन्य खर्चे वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन खराब होने पर मरम्मत, रख–रखाव हेतु तथा मालिक द्वारा वाहन वापस लिये जाने की स्थिति में मालिक द्वारा दूसरी वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि विभाग द्वारा यह व्यवस्था की जाती है तो व्यय पूर्ति का दायित्व वाहन मालिक की होगी।
6. वाहन पर लाल बत्ती, पीली बत्ती, सायरन एवं राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था वाहन मालिक को करना होगा।
7. किराये पर लिये गये वाहन अच्छी स्थिति में नहीं पाये जाने पर तत्काल हटा दिया जायेगा एवं देयक का भुगतान रोक दिया जावेगा।
8. वाहन की लॉग बुक/लॉग कार्ड प्रतिदिन अनिवार्य रूप से वाहन चालक को नियमानुसार भरना होगा एवं संबंधित अधिकारी से प्रतिदिन हस्ताक्षर लिया जाना होगा व उक्त लॉग बुक/लॉग कार्ड मूलतः कार्यालय में देयक के साथ जमा करना होगा जो कि शासकीय अभिलेख होगा।

—2—

9. देयक तीन प्रतियों में मय लॉग बुक/लॉग कार्ड के साथ राज्य अतिथि महोदय के प्रस्थान के एक सप्ताह के भीतर अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा। देयक का भुगतान संभावित अवधि में चेक के माध्यम से किया जायेगा। वाहन मालिक अन्य टैक्स/आयकर/सेवा शुल्क आदि भुगतान के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।

10. न्यूनतम निर्धारित दरों पर वाहन किसी भी एजेंसी से लेने का अधिकार संबंधित विभाग का रहेगा।

11. स्वीकृत दर पर आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित ट्रेव्हल्स एजेंसी की होगी, अनुपलब्धता की स्थिति में उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा अन्य एजेंसी से वाहन प्राप्त किया जावेगा।

12. शर्तों का उल्लंघन करने पर वाहन को हटा दिया जायेगा एवं वाहन का किराया भी देय नहीं होगा।

13. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निराकरण संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा, उसकी सीमा क्षेत्र रायपुर छ.ग. होगा।

14. निर्धारित दर आगामी आदेश तक प्रभावशील मानी जावेगी।

राज्य शिष्टाचार अधिकारी
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

//आदेश//

क्रमांक एफ 7–3/2020/36 :: सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक 1410/1690/2020/1–5, दिनांक 19.07.2020 में दिये गये निर्देश के परिपालन में राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एम. आर. निषाद को छत्तीसगढ़ मछुवा कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
21/7/20
(धनंजय देवांगन)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव
प्रौद्योगिकी विभाग

पृ.कमांक एफ 7–3/2020/36 नवा रायपुर दिनांक 21.07.2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्री जी, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 विधानसभा सचिवालय, रायपुर
4. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
5. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. विशेष सहायक, मान. मंत्री कृषि (पशुधन विकास एवं मछलीपालन) विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
7. निज सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ.ग. शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
8. निज सहायक, सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास एवं मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
9. संचालक, मछलीपालन, इन्द्रावती भवन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर,
10. समस्त कलेक्टर, जिला .... छत्तीसगढ़,